फा. सं. 30-1/2001-पुस्तकालय
भारत सरकार
पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : ....

सेवा में,

लेखा अधिकारी
वेतन और लेखा कार्यालय,
एन ए आई अनेक्सी भवन
संस्कृति विभाग
जनपथ, नई दिल्ली।

विषय : 2003-04 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के असमाप्य (नॉन-लैप्सेबल) पूल से राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता को अनुदान (योजना) (अनावर्ती) जारी करना।

महोदय,

मुझे निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता हेतु गैर-आवर्ती योजना शीर्ष के अंतर्गत 64,79,000/- रु. (चौंसठ लाख और उन्नासी हजार रुपए केवल) के भुगतान के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी प्रेषित करने का निदेश हुआ है। यह धनराशि वर्ष 2003-04 के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा पहले से ही व्यय की गई धनराशि का प्रतिनिधित्व करती है। इस अनुदान की प्रकृति गैर-आवर्ती है और यह वर्ष 2003-04 के बजट प्रावधानों के अतिरिक्त है।

2. ऊपर मंजूर की गई धनराशि माँग सं. 90, मुख्य शीर्ष - 2205 सार्वजनिक पुस्तकालय लघु शीर्ष - 00.105, अन्य पुस्तकालयों हेतु अनुदान - 02, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता - 02.02, सहायता अनुदान 02.03.31 के नामे डाली जाएगी। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता को उपर्युक्त धनराशि हेतु पुनर्विनियोजन आदेश एकीकृत वित्त प्रभाग के परामर्श से दिनांक 20 जनवरी, 2004 के आदेश सं. 17-3/2002-पी एंड बी (प्रतिलिपि संलग्न) के जरिए पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

3. वर्ष 2002-03 के लिए राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान द्वारा दिए गए उपयोग प्रमाण-पत्र और 2002-03 के अव्ययित अधिशेष और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई पहले की मंजूरियों को हिसाब में लेने के बाद इस अनुदान का भुगतान किया जाता है और इसका नियंत्रण जी एफ आर 148 से 151 तक के अंतर्गत किया जाता है। अनुदानग्राही संस्था वित्त वर्ष की समाप्ति के छः महीनों के भीतर अर्थात् सितम्बर, 2004 तक आवश्यक उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगी। इस

अनुदान के लेखाओं की जाँच, जहाँ तक इसके उपयोग का संबंध है, केन्द्रीय सरकार के विवेक के अनुसार की जाएगी। पुस्तकालय ऐसे सभी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिन्हें उनको इस प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

4. यह अनुदान राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुपालन और भारत सरकार के नियंत्रणाधीन पदों/सेवाओं में अभ्यर्थियों की विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए आरक्षण संबंधी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन सहित स्वायत्त संगठनों को ऐसे अनुदानों के भुगतान हेतु समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन है।

5. इस अनुदान के परिणामस्वरूप सृजित परिसंपत्तियों को, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बेचा, ऋणग्रस्त, उपयोग नहीं किया जाएगा। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता निधियों को मंजूर करने वाले प्रत्येक प्राधिकार (अर्थारिटी) के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में अलग से एक रजिस्टर रखेंगे और इसकी एक प्रति वर्ष के अंत में संस्कृति विभाग के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि एक स्वायत्त संगठन होने के कारण राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता को बांड भरने से छूट प्राप्त है और यह वित्त मंत्रालय के दिनांक 23 जून, 1965 के का. ज्ञा. सं. 14(1)-ई II (क)/64 के अंतर्गत शामिल है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता को सहायता अनुदान वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित वित्तीय सहायता के अनुमोदित प्रतिरूप के अनुसार मंजूर किया गया है।

7. अनुदान की धनराशि का आहरण, संस्कृति विभाग में भारत सरकार के आहरण और संवितरण अधिकारी (अनुदान) द्वारा किया जाएगा, जिन्हें इस प्रयोजन हेतु आहरण और संवितरण अधिकारी घोषित किया गया है और भुगतान डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। इस मंजूरी के प्रति निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता द्वारा यथाविधि हस्ताक्षरित स्टांप सहित पावती संलग्न है। निधियों के संवितरण को सुविधाजनक बनाने हेतु राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा - विकास भवन (जी ओ सी), साल्ट लेक, कोलकाता स्थित बचत बैंक खाते का नंबर 01100020121 है।

8. इस मंजूरी को दिनांक 20.1.2004 के पुनर्विनियोजन आदेश सं. एफ. 17-3/2002-पी एंड बी के प्राधिकार से और दिनांक 31.3.2004 की डायरी सं. 1614/पी एंड बी/04 के जरिए दिए गए पी एंड बी प्रभाग के परामर्श से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(सुदेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1. निदेशक, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता पुस्तकालय को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु।

2. आहरण और संवितरण अधिकारी (अनुदान), संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग को मंजूरी पत्र की एक अतिरिक्त प्रति और निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित बिल की अतिरिक्त प्रति सहित।

3. डी. ए. सी. आर. (विशेष प्रकोष्ठ), आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

4. पी एंड बी अनुभाग

5. महालेखाकार, पश्चिम बंगाल, कोलकाता।

6. आई एफ डी
7. संस्कृति मंत्री के निजी सचिव
8. गार्ड फाइल
9. बजट सहायक, पुस्तकालय अनुभाग
10. गार्ड फाइल

(सुदेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार